उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

संख्या-97/2025/1572/25-27-10001(002)/10/2024-10

लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता जब नलकूप खण्ड, मुजफ्फरनगर में दिनांक 09.07.2008 से 11.04.2012 तक तैनात थे, उक्त सेवाकाल में अर्जित की गयी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण विभाग को प्रस्तुत नहीं किये जाने, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विभिन्न मद में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रयोग दूसरे मद में किये जाने, वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में रू0 53.41 लाख एवं रू0 54.82 लाख का भुगतान अनियमित रूप से कार्यों एवं आपूर्ति प्राप्त करने हेतु स्थायी/अस्थायी अग्रदाय के माध्यम से किये जाने जैसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोपों/अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.08.2012 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), सिंचाई विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया। प्रकरण में श्री राजेश कुमार के विरूद्ध कुल 07 आरोपों का गठन करते हुए शासन के पत्र संख्या-89(1)/13-सत्तासी-11(63)/09, दिनांक 12.03.2013 द्वारा आरोप-पत्र निर्गत किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र सं0-2325/मुअनम/श्री राजेश कुमार/अ०अ०, दिनांक-25.11.2013 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार पर लगाए गए 07 आरोपों में से आरोप सं0-01 से 06 तक दोष सिद्ध पाए जाने की स्थिति में शासन के पत्रांक-5311/13-सत्तासी-11(63)/09, दिनांक-23.04.2014 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन में मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक-30.05.2014 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में आरोप पत्र के उत्तर में दिए गए कथन को ही दोहराया गया।

3- श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच में गठित आरोप, उसके सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर व जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन का सम्यक परीक्षण किया गया। आरोप सं0-2 के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार ने बताया कि उनके पैर में हुए फैक्चर से दर्द एवं सूजन होने के कारण दिनांक-11.04.2012 से चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण वह टास्क फोर्स के साथ नहीं रह सके, जिसके साक्ष्य में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रति लगाई थी। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि यद्यपि राजेश कुमार को अस्वस्थ होने की दशा में अपने अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ही अवकाश पर जाना चाहिए था परन्तु चिकित्सीय आकस्मिकता के आधार पर श्री राजेश कुमार को आरोप सं0-2 से बरी किया गया। आरोप सं०-3-6, धनराशि के व्यावर्तन (एक मद में स्वीकृत धनराशि का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दूसरे मद में उपयोग किया जाना) से सम्बन्धित है, जिसके लिए श्री राजेश कुमार सक्षम नहीं थे। यद्यपि इससे शासकीय क्षति नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हुयी है, किन्तु गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतएव आरोप सं0-3 से 6 में गम्भीर वित्तीय अनियमितता का आरोप सिद्ध होने दृष्टिगत श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता को परिनिन्दा शास्ति सहित दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने का दण्ड प्रदान कर निलम्बन से बहाल करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1098/सत्ताईस-10-15-11(63)/09, दिनांक-12.05.2015 द्वारा समाप्त की गयी।

4- श्री राजेश कुमार द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका सं0-1117/2015 राजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी। उक्त याचिका में दिनांक 04.07.2023 को मा0 अधिकरण द्वारा याची एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत कथन/तथ्यों पर विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया-

"निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दंडादेश 12.05.2015 को अपास्त किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि याची के जो भी सेवा लाभ इस आदेश के कारण रोके गये हों उन्हें नियमानुसार निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 03 माह के अंदर प्रदान करना सुनिश्चित करें।"

5- निर्देश याचिका सं0-1117/2015 राजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के संबंध में दिनांक 16.11.2023 को पुनर्विचार याचिका सं0-55/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राजेश कुमार मा0 अधिकरण में योजित की गयी। इसी बीच याची श्री राजेश कुमार द्वारा निर्देश याचिका सं0-1117/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 का अनुपालन किये जाने हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष अवमाननावाद सं0 263/2023 राजेश कुमार बनाम श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन व एक अन्य योजित की गयी। उक्त अवमाननावाद में मा0 अधिकरण द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 06.03.2025 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:-

''Learned Presenting Officer seeks time to file compliance report. Previously also vide order dated 19.04.2024 he was granted last opportunity to file compliance report but despite specific order compliance report has not been filed. However, time granted to Ld. P.O. to file compliance report. As a last opportunity six weeks time is granted to the Opposite Parties to comply with the Tribunal's order and to file compliance report failing which Opposite Party No.1 shall appear in person to clarify the delay.

List on 02.05.2025."

6- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष योजित निर्देश याचिका सं0-1117/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2023 में शासन के दण्डादेश दिनांक 12.05.2015 को अपास्त कर दिये जाने, उक्त आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष योजित पुनर्विचार याचिका सं0-55/2023 में कोई अन्तरिम स्थगन/आदेश प्राप्त न होने, याची श्री राजेश कुमार द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04.07.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष अवमाननावाद सं0-263/2023 योजित किये जाने एवं याची द्वारा उनकी पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष रिट याचिका सं0-3208/2024 योजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित आदेश में याची का प्रत्यावेदन 06 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है-

In view of the above, it is provided that in case the petitioner submits a representation within two weeks from today before the respondent No.1 then the respondent No.1 shall endevour to decide the same by means of a reasoned and speaking order within a further period of six weeks from the date of receipt of a certified copy of this order along with representation.

With the aforesaid direction, writ petition is disposed of.

It is made clear that this Court has not gone into the merits of the case.

7- उपरोक्त तथ्यों एवं मा0 उच्च् न्यायालय के आदेश के आलोक में शासन की विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या-121/2024/2229/24-27-10001(002)/10/ 2024-10 दिनांक 20.08.2024 द्वारा श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) की अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति इस शर्त के साथ की गयी कि मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष योजित रिव्यू याचिका संख्या-55/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राजेश कुमार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

8- मा0 अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका सं0-1117/2015 राजेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष योजित रिव्यू याचिका सं0-55/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राजेश कुमार में दिनांक 19.05.2025 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नलिखित है-

"5. After perusal of this review petition and the statement given by both side, we have gone through the record and find that in para-3 of this review petition, review petitioner has stated that Tribunal has committed mistake of fact and law apparent on the face of the record by recording the finding mentioned in Para-15 of the judgment, ignoring this fact that petitioner has neither raised any plea with regard to violation of Rule-16 of the U.P. Government Servant (Discipline & Appeal) Rule- 1999 nor stated that U.P. Public Service Commission has not been consulted as required under Rule-16 of U.P. Government Servant (Discipline & Appeal) Rule- 1999. Regarding this fact, it has been stated in para-4 of the review petition that approval has beensought by the State Government vide its letter dated 27.11.2014 from U.P Public Service Commission before passing the impugned punishment order dated 12.05.2015 and the same was given by the U.P Public Service Commission vide its letter dated 12.03.2015. The review petitioner has also annexed the copy of the said letter dated 27.11.2014 and 12.03.2015 as Annexure No. 2 & 3 of this review petition. Hence, this fact is not acceptable that before passing the punishment order dated 12.05.2015, the approval has not been sought by the State Government from U.P Public Service

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Commission under rule-16. As in para-8 of the review petition it has been stated by the review petitioner that in para-13 of the judgment and order dated 04.07.2023, the Rule-7(vii) of the U.P. Government Servant (Discipline & Appeal) Rule- 1999 has been violated whereas it has been mentioned in the enquiry report that date, time & place has been fixed on which the witnesses desired by the petitioner, appeared and got their statement and this fact has itself admitted by the petitioner that enquiry officer has called and examined the witnesses desired by the petitioner in his claim petition. We have gone through the record and find that in para 4.14 of the claim petition, where the name of thewitnesses have been mentioned as Sri Bir Pal Singh, Sri Sudhir Kataiyar, Sri Ajab Singh, Sri Prem Chand, Sri Sharad Kumar Gupta, Sri Devi Das. By the above fact, it is clear that witnesses were called and examined by the enquiry officer as desired by the petitioner. Tribunal has, thus committed the mistake of fact and law apparent at the face of record by not considering the admission of the petitioner. In this regard the case law laid down by the Hon'ble Supreme Court in case of Chairman, LIC of India & Ors. Versus A. Masilamani (CIVIL APPEAL NO. 8263 OF 2012).

18. In view of the above discussion, this review petition deserves to be allowed.

ORDER

Review Petition is allowed. The Claim Petition no. 1117 of 2015 is restored to its original number. List on 13.6.2025 for hearing the matter. Thek judgment dated 4.7.2023 is recalled.."

9- उल्लेखनीय है कि श्री राजेश कुमार की अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति मा0 अधिकरण में योजित रिव्यू याचिका सं0-55/2023 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन की गयी थी। मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 19.05.2025 को पारित निर्णय में विभाग द्वारा योजित पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुये दिनांक 04.07.2023 को पारित आदेश को वापस ले लिया है। इस आधार पर श्री राजेश कुमार के विरूद्ध निर्गत शासन का दण्डादेश सं0 1098/सत्ताइस-10-15-11(63)/09, दिनांक 12.05.2015 पुन: प्रभावी हो गया है।

10- अत: मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में योजित रिव्यू याचिका सं0-55/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राजेश कुमार की शासन के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या-121/2024/2229/24-27-10001(002)/10/2024-10, दिनांक 20.08.2024 द्वारा की गयी पदोन्नति को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

कुलदीप श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

5- प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियंता (यां0), सिंचाई विभाग।

8- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

10-व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रजीत सिंह

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।